वन विभाग हरियाणा

शुद्धि पत्र

(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा प्रदेश द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतू ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला फरीदाबाद, पलवल, नूंह (मेवात), गुरूग्राम, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी, भिवानी जीन्द, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा के लिए ऑनलाईन पोर्टल ***www.haryanaforest.gov.in*** खोला गया था । लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से यह पोर्टल निर्धारित अवधि के अन्दर अवरूध होता रहा है जिस कारण नए लाईसेंस के इच्छुक आवेदक अपना फार्म समय पर ऑनलाईन नहीं भर सके।

अतः सम्बन्धित जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अब आगे नए लाईसेंस के फार्म ऑनलाईन भरने का समय 15 दिन अर्थात 15.10.2021 तक बढ़ा दिया गया है क्योंकि **"आवश्यक सूचना 15"** अनुसार दिया गया समय 30,09.2021 तक था । बाकि सभी निर्धारित शर्तें एवं नियम तथा आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देश तथा अन्य **"आवश्यक सूचना–15"** अनुसार ही रहेंगे । सम्बन्धित IP address http://164.100.137.122/ है।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वानिकी),
एवं सदस्य सचित, राज्य स्तरीय समिति,
काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा, सी.18, वन भवन,
सैक्टर 6, पंचकूला।